



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 160 राँची, शुक्रवार,

17 मार्च, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

6 मार्च 2023

संख्या-08/आ.प्र.-02/2017-186--

विषय - विभागीय संकल्प सं.-969 दिनांक-25.10.2018 द्वारा घोषित राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा में “नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने” के स्थान पर “पानी में डूबने” की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने के संबंध में।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन एवं प्रशासन हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2021-NDM-I दिनांक-12.01.2022 द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका-3.1 में भारत सरकार द्वारा चिह्नित आपदाओं - चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण, शीतलहर एवं पाला तथा वर्णित दिशा-निर्देश की कंडिका-3.2 में स्थानीय आधार पर राज्य द्वारा अधिसूचित आपदाओं से प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है।

2. विभागीय संकल्प सं.-969 दिनांक-25.10.2018 द्वारा अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा), सर्पदंश, खनन् जनित आपदा रेडियेशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं से होनेवाले जानमाल की क्षति के निमित्त अनुदान की राशि प्रभावितों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। इसके बावजूद विभिन्न जिलों से तालाब/चेकडैम/कुआँ/नाला आदि में डूबने से हुई मृत्यु पर आश्रितको अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु याचित मार्गदर्शन एवं विधायी माध्यम से भी तालाब आदि में डूबने से मृत्यु होने पर आश्रित को मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रश्नादि विभाग को प्राप्त होते रहे हैं।
3. दिनांक-19.12.2022 को मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही की कंडिका-7(I) पर निर्णय लिया गया है कि "विभागीय संकल्प ज्ञापांक-969 दिनांक-25.10.2018 द्वारा राज्य की घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा-नाव दुर्घटना, नदियों/ डोभा/जलप्रपात में डूबने के स्थान पर "पानी में डूबने" की घटना के लिए आनुग्राहिक राहत हेतु अलग से संकल्प निर्गत करने की कार्रवाई करने पर सहमति प्रदान की गई।"
4. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक-10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से राशि की व्यय के निमित्त निर्गत मद एवं मापदण्ड में राज्य में स्थानीय संदर्भ में राज्य विशिष्ट आपदाएँ, जो राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं से संबंधित व्यय की पूर्ति राज्य आपदा मोचन निधि के संबंधित विंडो की वार्षिक निधि आवंटन के 10% की सीमा के भीतर राज्य आपदा मोचन निधि से की जा सकती है, का प्रावधान किया गया है।
5. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं
 - (क) (I) विभागीय संकल्प सं.-969 दिनांक-25.10.2018 द्वारा घोषित राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं में "नाव दुर्घटना, नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने" के स्थान पर "पानी में डूबने" की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित की जाती है।
 - (II) "पानी में डूबने" की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित होने के फलस्वरूप गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक-10.10.2022 द्वारा निर्गत मद एवं मापदण्ड की संशोधित सूची के अनुसार सहायता प्रदान की जायेगी।
 - (III) आत्महत्या एवं हत्या के फलस्वरूप मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - (IV) आत्महत्या अथवा हत्या के प्रयास के फलस्वरूप शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आँख/आँखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - (V) आत्महत्या अथवा हत्या के प्रयास के फलस्वरूप गहरा जख्म होने पर चिकित्सा हेतु अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

- (VI) पानी में डूबने से मृत्यु के संबंध में उपायुक्त द्वारा घटना की प्रशासनिक जाँच करायी जायेगी तथा मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी तथा प्रशासनिक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (VII) पानी में डूबने के फलस्वरूप जखमी होने पर/शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आँख/आँखों की हानि होने पर उपायुक्त द्वारा घटना की प्रशासनिक जाँच करायी जायेगी तथा जाँच प्रतिवेदन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- (VIII) पानी में डूबने के फलस्वरूप मृतक के शव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं.-1089 दिनांक-10.12.2018 में अंकित प्रावधान के आलोक में मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (ख) निर्गत संकल्प सं.-969 दिनांक-25.10.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
- (ग) यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
6. उपरोक्त कंडिका-5 पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-02.03.2023 की बैठक के मद संख्या-13 में स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
